रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2017/माघ 13, 1938
No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2017/MAGHA 13, 1938

भारतीय जीवन बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 86(अ).—जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अभिकर्ताओं की भर्ती की पद्धति और उनके निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये विनियम निगम द्वारा जीवन बीमा कारबार के संबंध में भारत में नियुक्त सभी अभिकर्ताओं को लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "आमेलित अभिकर्ता" से कोई अभिकर्ता अभिप्रेत है, जिसे विनियम 4 के उपविनियम (4) के अधीन नियुक्त किया गया माना गया है ;

(ग) "अभिकर्ता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत कोई आमेलित अभिकर्ता है ;

(घ) "अभिकरण वर्ष" :

(i) किसी आमेलित अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता के संबंध में,—

(अ) उसकी नियुक्ति के पहले वर्ष में उसकी नियुक्ति की तारीख से उस मास के अंत तक की अवधि, जिसमें वह एक अभिकर्ता के रूप में बारह मास पूरे करता है (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ऐसे अभिकर्ता का पहला अभिकरण वर्ष कहा गया है), और

(आ) उसकी नियुक्ति के पश्चातवर्ती वर्षों में पहले अभिकरण वर्ष के पूरा होने के पश्चात् बारह मास की प्रत्येक क्रमवर्ती अवधि ; और

(ii) किसी आमेलित अभिकर्ता के संबंध में,--

(अ) प्रकाशन दिन से पूर्व वह तारीख जिसको उसने अपने अभिकरण का अंतिम वर्ष पूरा किया है की तारीख के पश्चात् बारह मास की अवधि; और

(आ) उसकी नियुक्ति के पश्चातवर्ती वर्षों में पहले अभिकरण वर्ष के पूरा होने के पश्चात् बारह मास की प्रत्येक क्रमवर्ती अवधि :

परंतु किसी अभिकर्ता की दशा में जिसको विनियम 4 के उपविनियम (6) के अधीन सूचना की तामील की गई है, पश्चातवर्ती अभिकरण वर्ष का अर्थ सूचना मे वर्णित तारीख से संगणित प्रत्येक क्रमवर्ती बारह मास की अवधि होगी ।

(ङ) "नियुक्ति पत्र" से किसी व्यष्टि को अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को जारी नियुक्ति पत्र अभिप्रेत है ;

(च) "प्राधिकारी" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियमाक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ज) "नामनिर्दिष्ट अधिकारी" से अभिकर्ताओं की नियुक्ति या पुन: स्थापन के लिए और पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) "बीमा अधिनियम" से जीवन बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है ;

(ञ) "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;

(ट) "प्रकाशन दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होते है;

(ठ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) सभी शब्द और पद जो इसमें अनुप्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु जो या तो बीमा अधिनियम या भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 या जीवन बीमा निगम विनियम, 1959 में परिभाषित हैं, का क्रमश: वहीं अर्थ होगा जो उनका सुसंगत अधिनियमों या विनियमों में है ।

4. अभिकर्ताओं की नियुक्ति.—(1) निगम के लिए जीवन बीमा कारबार का आग्रह करने या उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत निगम के बीमा की पालिसियों को जारी रखने, नवीकरण या उनको प्रवर्तित करने से संबंधित कारबार है, भारत में किसी भी स्थान में अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकेगी ।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सभी नियुक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और उनकी उपयुक्तता का समाधान हो जाने के पश्चात् की जाएंगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसी नियुक्तियां करते समय प्रक्रिया के ऐसे नियमों से मार्गदर्शित होगा, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक (बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016 द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) इन विनियमों के प्रारंभ से ही भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 के उपबंधों के अधीन नियुक्त प्रत्येक अभिकर्ता और जो उस दिन से तुरंत पूर्व निगम के निमित्त ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, को उस दिन से इन विनियमों के अधीन नियुक्त और पुष्टि किया गया अभिकर्ता समझा जाएगा ।

परंतु यह कि अभिकर्ता के रूप में और इन विनियमों के अधीन किसी फायदे के लिए उसके कार्य की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए वह अवधि, जिसके दौरान वह निगम की ओर से इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सतत रूप से कार्य कर रहा था (1 सितंबर, 1956 से पूर्व कोई अवधि इसमें शामिल नहीं है) को उसके सतत कारबार का पता लगाने या किसी तारीख को ऐसे कारबार की बाबत प्रीमियम आय के नवीकरण के प्रयोजन के लिए, उस अवधि के दौरान उसके द्वारा पूरा किया गया कारबार, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ होने से ठीक पूर्व अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, को गणना में लिया जाएगा :

(5) विविध बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की ईप्सा करने के लिए आवेदक विविध अभिकर्ताओं के आवेदन के प्ररूप में उस बीमाकर्ता के ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जिसके साथ उसका अभिकरण विद्यमान है ।

(6) उपविनियम (1) से उपविनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिकर्ता को लिखित सूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि उसका अभिकर्ता वर्ष सूचना में वर्णित तारीख से 12 मास की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि होगी :

परंतु सूचना में इस प्रकार वर्णित तारीख किसी कलेंडर मास की पहली तारीख होगी ।

(7) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नामनिर्दिष्ट अधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी आवेदन को इनकार या अस्वीकार कर सकेगा यदि वह यह अनुभव करता है कि नियुक्ति का अनुदत्त किया जाना लोकहित के विरुद्ध होगा ।

5. अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तें.—कोई व्यक्ति अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह आईआरडीए अधिनियम के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016 में अधिकथित पात्रता शर्तों क पूरा नहीं करता है ।

6. प्रशिक्षण और परीक्षा.— (1) अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यष्टिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित जीवन बीमा में बीमा अभिकरण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ।

(2) निगम आवेदक को भर्ती पूर्व और कौशल विकास प्रशिक्षण ऐसी रीति में जो निगम द्वारा विहित की जाए, प्रदान करेगा ।

7. अभिकर्ताओं की पुनः नियुक्ति.—(1) हटाए गए अभिकर्ताओं की पुनः नियुक्त समय-समय पर निगम द्वारा अनुमोदित पात्रता शर्तों के अनुसार होगी :

परंतु कोई अभिकर्ता जिसे सतर्कता जांच, अनुशासनिक कार्यवाही समय पूर्व दावे या कपट के कारण हटाया गया है की पुनः नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(2) सभी व्यवहारिक प्रयोजनाओं के लिए पुनः नियुक्ति को नई नियुक्ति माना जाएगा और अभिकर्ता पुराने अभिकरण के अधीन पूरे किए गए किसी कारबार के लिए कमीशन का दायी नहीं होगा ।

8. अभिकर्ताओं के कृत्य.—(1) प्रत्येक अभिकर्ता—

(क) नए बीमा कारबार का आग्रह करेंगे और उपाप्त करेंगे तथा किसी पालिसी के अवसान या उसके संदत्त पालिसी में संपरिवर्तन को निवारित करने का प्रयास करेंगे तथा जीवन बीमा कारबार की उपाप्ति करते हुए प्रस्ताविकों के जीवन बीमा की आवश्यकताओं तथा उनकी प्रीमियम संदाय करने की क्षमता को विचारण में लेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेंगे कि बीमा किए गए व्यक्ति की आयु को पालिसी आरंभ करते समय स्वीकृत किया जाए;

(ग) स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करने से पूर्व, बीमा के लिए जीवन के संबंध में सभी युक्तियुक्त जांच करेंगे और निगम की सूचना में किन्हीं परिस्थितियों को लाएंगे जो हाथ में लिए जाने वाले जोखिम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं;

(घ) किसी परिपत्र, पेंम्फलेट या प्रस्तुतियों को जारी करने के संबंध में निगम और प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन करेगा;

(ङ) धनशोधन अधिनियम, 1999 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए और धनशोधन के विरुद्ध दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन करेगा;

(च) आईआरडीएआई अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का कठोरता से पालन करेगा; और

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित अनाथ पालिसियों के अधीन पालिसी धारकों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएगा ।

(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थ किसी अभिकर्ता पर कोई धन संग्रहित करने या निगम की ओर से कोई जोखिम स्वीकार करने या किसी रीति में निगम को आबद्ध करने की शक्ति प्रदान करने के अर्थ में नहीं लगाया जाएगा ।

(3) प्रत्येक अभिकर्ता दूसरी अनुसूची में दी गई और प्राधिकरण तथा निगम द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत आचार-संहिता का अनुपालन करेगा ।

9. अभिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कारबार की न्यूनतम रकम.—(1) अभिकर्ता अपने पहले और पश्चात्वर्ती अभिकरण वर्ष में उतना न्यूनतम कारबार लाएगा जो निगम द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभिकर्ता को उससे अपेक्षित कारबार को लाने से छूट प्रदान की जाएगी यदि वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो निगम द्वारा समय-समय पर अधिकथित शर्तों को पूरा करता है ।

10. अभिकर्ताओं को कमीशन का संदाय.—(1) अभिकर्ता को इन विनियमों के अधीन उसके सभी कृत्यों के निर्वहन के प्रतिकर और पारिश्रमिक के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित बीमा के प्रत्येक उत्पाद के लिए नियत दरों पर पहले वर्ष के प्रीमियमों और उसके अभिकरण के जारी रहने के दौरान प्रीमियमों के नवीकरण तथा उसके अभिकरण के अधीन पूरे किए गए कारबार के लिए कमीशन का संदाय किया जाएगा ।

(2) कोई अभिकर्ता उपविनियम (1) के अधीन संदेय कमीशन के अतिरिक्त अनुसूची 3 में यथाउपबंधित पहले वर्ष के पात्र कमीशन के अतिरिक्त बोनस कमीशन का भी हकदार होगा ।

(3) किसी अभिकर्ता को किसी रूप में संदेय कमीशन या पारिश्रमिक आईआरडीएआई अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा बनाए गए प्रवृत विनियमों के अधीन होगा ।

(4) विनियम 19 में उपबंधित के सिवाय किसी अभिकर्ता के अभिकर्ता के रूप में ने रहने पर कोई कमीशन संदेय नहीं होगी ।

11. उपदान और अवधि बीमा फायदे.—किसी अभिकर्ता को उपदान और आवधिक बीमा फायदे आईआरडीएआई अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा बनाए गए प्रवृत विनियमों के अधीन चौथी अनुसूची में दिए गए अनुसार होंगे ।

12. निगम का अभिकर्ता के शोध्यों पर धारणाधिकार.—(1) विनियम 8 के अधीन किसी कृत्य का लोप या उल्लंघन और चौथी अनुसूची के अधीन दी गई आचार संहिता के उल्लंघन के परिणामस्वरूप निगम को हुई किसी हानि के लिए अभिकर्ता शास्ति का दायी होगा जिसके अंतर्गत उक्त हानि के लिए वसूली भी है ।

(2) निगम का किसी अभिकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों को संदेय सभी धनराशियों पर निगम को उससे शोध्य सभी ऋणों की वसूली पर प्रथम धारणाधिकार और प्रभार होगा और वह ऐसी ऋणों की वसूली के लिए सीध ऐसी धनराशियों को ले सकेगा ।

13. अभिकरण की समाप्ति.—(1) यदि कोई अभिकर्ता किसी अभिकरण वर्ष में विनियम 9 के अधीन उससे अपेक्षित कारबार को लाने में असफल रहता है तो ऐसे अभिकरण वर्ष के अंत में उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी :

परंतु इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अभिकर्ता को लागू नहीं होगी जिसे इन नियमों के अधीन विनियम 9 के उप विनियम (2) के अधीन छूट प्रदान की गई है ।

(2) कोई अभिकरण जो उपविनियम (1) के अधीन समाप्त हो गया है, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथापूर्व किया जा सकेगा यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि अभिकर्ता द्वारा अपेक्षित कारबार लाने में असफलता उसके नियंत्रण से परे कारणों से थी ।

(3) जहां किसी अभिकरण को यथापूर्व उपविनियम (2) के अधीन किया गया है, उसे सभी परियोजनों के लिए सतत् माना जाएगा ।

14. किसी अभिकर्ता द्वारा त्यागपत्र या नियुक्ति का अभ्यर्पण.—(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा उसके अभिकरण के अभ्यर्पण की वांछा रखने की दशा में वह अपने नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी त्यागपत्र या अभ्यर्पण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर समाप्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) किसी अन्य बीमाकर्ता का कोई अभिकर्ता जिसने उस बीमाकर्ता को अपनी नियुक्ति का अभ्यर्पण कर दिया है और जो निगम से नियुक्ति की ईप्सा करता है वह सक्षम प्राधिकारी को अपने पूर्व अभिकरण के सभी ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा तथा अपने अभिकरण आवेदन के साथ पूर्व बीमाकर्ता द्वारा जारी समाप्ति प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी उसके अभिकरण आवेदन पर नियुक्त के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ती बीमाकर्ता द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 90 दिन की कालावधि के पश्चात् विचार करेगा ।

15. कतिपय निर्हताओं के लेखे अभिकरण की समाप्ति.—(1) यदि कोई अभिकर्ता,-

(क) यदि वह अवयस्क पाया जाता है ;

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का पाया जाता है ;

(ग) सक्षम न्यायालय द्वारा दांडिक दुरुपयोजन या आपराधिक न्यास भंग या छल या धोखाधड़ी या ऐसे किसी अपराध को कारित करने के लिए दुष्प्रेरण दोषी पाया जाता है;

(घ) किसी न्यायिक कार्यावाही में जानबूझकर किसी छल में भागीदार होना पाया जाता है या किसी कपट, बेईमानी या दुर्व्यपदेशन का निगम या उसकी किसी अनुषंगी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसका निगम या उसकी किसी अनुषंगी से व्यौहार है, के लिए सिद्धदोष है,

उसकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने की दायी होगी ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन समापन के प्रत्येक आदेश को, अभिकर्ता को पांचवीं अनुसूची में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाने वाली जांच में ऐसे समापन के विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जारी किया जाएगा ।

(3) जब सक्षम प्राधिकारी उपविनियम (1) के अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है तो वह अभिकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए बीमा कारबार का आग्रह या उपाप्त न करने का निदेश देगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने का निदेश न दे दिया जाए और इस प्रकार जारी निलंबन के आदेश को पांचवीं अनुसूची में यथाउपबंधित रीति में प्रकाशित किया जाएगा ।

16. कतिपय गलतियों के लिए अभिकर्ताओं की समाप्ति या निलंबन.—(1) सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी अभिकर्ता की नियुक्ति को सम्यक सूचना और उसे पांचवीं अनुसूची में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् समाप्त कर सकेगा, यदि—

(क) उसने बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या उनके अधीन बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(ख) उसने निगम के हितों या पालिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल रीति में कार्य किया है;

(ग) वह अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है और वह विनियम 8 और विनियम 14 में दी गई आचार संहिता का अनुपालन करने में और प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में अनुपालन करने में असफल रहा है ;

(घ) वह निगम या प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित अभिकर्ता के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असफल रहा है ;

(ङ) उसने अभिकर्ता की वैधता की अवधि के दौरान अभिकर्ता के लिए नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन में गलत या मिथ्या सूचना प्रस्तुत की है या तात्विक तथ्यों के प्रकटन में असफल रहा है;

(च) वह प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी निरीक्षण या जांच में सहयोग नहीं करता है;

(छ) वह पालिसीधारकों की शिकायतों का समाधान करने में असफल रहता है या निगम या प्राधिकारी को समाधानप्रद प्रत्युतर देने में असफल रहता है;

(ज) यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिकर्ता या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: पालिसीधारकों या संभाव्यता या बीमाकर्ता के निमित्त प्रीमियमों या संगृहित नकदी के गबन में अंतर्वलित है और वह जानबूझकर निगम या पालिसीधारकों या उसकी किन्हीं अनुषंगियों या किसी व्यक्ति जिसका निगम या उसके किसी अनुषंगी के साथ शासकीय व्यौहार है, के साथ किसी कपट, बेईमानी, दुर्व्यपदेशन, दुविर्नियोजन, धोखाधड़ी और कूटरचना में अंतर्वलित है ;

(झ) वह नियुक्ति के निबंधनों का उल्लंघन करता है ;

(ञ) निगम या प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक विवरणियों को प्रस्तुत नहीं करता है ;

(ट) उसकी जानकारी में यह साक्ष्य आता है कि वह उसे संदेय संपूर्ण कमीशन या उसके किसी भाग पर रिबेट अनुज्ञात करने का प्रस्ताव कर रहा है या अनुज्ञात कर रहा है ;

(ठ) यदि यह पाया जाता है कि अभिकरण आवेदन या उसके द्वारा अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किसी प्रस्ताव में कोई प्रकथन है, जो सत्य नहीं है ;

(ड) वह अभिकर्ता के रूप में अपने कृत्यों को करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है ;

(ढ) यदि उससे निगम द्वारा नियत समय के भीतर एक अवशोषित अभिकर्ता के रूप में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा जाता है जिसमें यदि वह असफल रहता है ;

(ण) यदि यह पाया जाता है कि वह उसे निगम द्वारा प्रदान की गई किसी सुविधा का दुरुपयोग कर रहा है ।

(2) जब सक्षम प्राधिकारी उपविनियम (1) के अधीन कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है तो वह अभिकर्ता को तब तक बीमा कारबार का आग्रह न करने या उपाप्त न करने का निदेश देगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न कर दिया जाए और इस प्रकार जारी निलंबन के आदेश को पांचवीं अनुसूची में यथाउपबंधित रीति में प्रकाशित किया जाएगा ।

17. (1) **सूचना द्वारा अभिकरण की समाप्ति.**—किसी अभिकर्ता की नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय एक मास की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा ।

(2) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का सक्षम प्राधिकारी के अभिकर्ता के विरुद्ध विनियम 16 और विनियम 19 के निबंधनों में कार्रवाई करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ।

18. दिवालियापन की दशाओं में प्रक्रिया.—(1) यदि कोई अभिकर्ता सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय को दिवालिया अधिनिर्णीत करने के लिए आवेदन करता है या ऐसे न्यायालय द्वारा दिवालिया अधिनिर्णीत किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे तुरंत नया जीवन बीमा कारबार का आग्रह करने या उपाप्त करने को तुरंत बंद करने का निदेश दे सकेगा और अभिकर्ता तदनुपरांत तब तक नये जीवन बीमा कारबार का आग्रह या उपाप्ति नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय उन्मोचित करने का आत्यांतिक आदेश अनुदत्त न कर दे और सक्षम प्राधिकारी अपने पूर्व में किए गए निदेश को वापस न ले लें ।

(2) किसी अभिकर्ता द्वारा उपविनियम 1 के अनुसार नए जीवन बीमा कारबार का आग्रह या उपाप्ति करना बंद कर देने पर, विनियम 9 की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी ।

(3) यदि कोई अभिकर्ता उस अभिकरण वर्ष जिसे उसे दिवालिया अधिनिर्णीत करने का आदेश पारित किया गया था, के पश्चात दो अभिकरण वर्ष की समाप्ति तक उन्मोचित करने का आत्यांतिक आदेश अभिप्राप्त करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर उसकी सेवाएं समाप्त किए जाने की दायी होंगी ।

19. अभिकरण को जारी न रखने पर कमीशन का संदाय.—(1) किसी अभिकर्ता की नियुक्ति को समाप्त किए जाने की दशा में, उसके द्वारा प्राप्त किए गए कारबार की बाबत प्राप्त प्रीमियमों पर कमीशन का उसे संदाय किया जाएगा, यदि ऐसे अभिकर्ता ने --

(क) विनियम 9 के उपबंधों के अधीन न्यूनतम कारबार की अपेक्षाओं को उसकी नियुक्ति से कम से कम पांच वर्ष के लिए पूरा किया हो और उसके द्वारा की गई 25 जीवन बीमा पालिसियां उसके ऐसे अभिकर्ता न रहने से एक वर्ष पूर्णतया प्रभावी थीं ; या

(ख) उसकी नियुक्ति से कम से कम 10 वर्ष के लिए विनियम 9 के अधीन न्यूनतम कारबार की अपेक्षाओं को पूरा किया है ;

(ग) कोई ऐसा अभिकर्ता है जिसकी नियुक्ति को विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (ड) के अधीन समाप्त कर दिया गया है जिसने विनियम 9 के अधीन न्यूनतम कारबार की अपेक्षाओं को उसकी नियुक्ति से कम से कम दो वर्ष के लिए पूरा करता है और ऐसी समाप्ति से तुरंत पूर्व की तारीख को उसके द्वारा की गई 12 विभिन्न जीवन बीमा पालिसियां पूर्णतया प्रभावी हैं :

परंतु उसके ऐसा अभिकर्ता न रहने के पश्चात् वह प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या संगठन जिसके अंतर्गत दलाल या मध्यवर्ती या जीवन बीमा कंपनी या कोई स्वास्थ्य बीमा कंपनी है, के लिए किसी क्षमता में तत्पश्चात् दो वर्ष के लिए जीवन बीमा कारबार का आग्रह नहीं करेगा या उपाप्त नहीं करेगा या उसका संवर्धन नहीं करेगा ।

(2) उप विनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनियम 15 या विनियम 16 के उपविनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ज) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा समाप्त किसी अभिकर्ता की उसके अभिकरण के अधीन प्रभावी सभी पालिसियों की बाबत संपूर्ण कमीशन प्रतिसंहृत हो जाएगी ।

(3) उपविनियम (1) के अधीन संदेय किसी कमीशन को संदत्त नहीं किया जाएगा, यदि अभिकर्ता तदधीन किसी परंतुक का अतिलंघन करता है ।

(4) इस विनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उपविनियम (1) के अधीन किसी अभिकर्ता को संदेय किसी कमीशन को उसकी मृत्यु के होते हुए भी उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदत्त किया जाएगा या यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या उसके उत्तराधिकारी अस्तित्व में है तो उनको ऐसा कमीशन तब तक संदेय होगा यदि अभिकर्ता जब तक जीवित होता ।

(5) किसी अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में जब उसका अभिकरण अस्तित्व में है यदि वह जीवित होता तो उसे संदेय किसी कमीशन का उसके नामनिर्देशिती को या कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या तब तक उसके उत्तराधिकारी विद्यमान हैं जब तक ऐसा कमीशन उसको संदेय होता है, संदाय किया जाएगा तो तब विद्यमान नहीं रहता है यदि अभिकर्ता जीवित होता । परंतु यह कि उसने एक अभिकर्ता के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अन्यून के लिए लगातार से कार्य किया है और उसके द्वारा की गई 12 जीवन पालिसियां उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व पूर्णतः प्रभावी थीं ।

(6) यदि उप विनमय (1) या उप विनमय (4) या उप विनमय (5) के अधीन संदेय नवीकरण कमीशन किसी वित्त वर्ष में 10,000/-रुपये से कम होती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त वित्त वर्ष कहा गया है) सक्षम प्राधिकारी उक्त उप विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पश्चातवर्ती वित्त वर्षों में संदेय कमीशन को एक मुश्त राशि में संराशिकृत कर सकेगी जो उक्त वित्त वर्ष में संदत्त नवीकरण कमीशन की रकम से तीन गुणा होगी और ऐसी एक मुश्त राशि का यथास्थिति अभिकर्ता या उसके नामनिर्देशिती या उत्तराधिकारियों को संदाय करने पर अभिकर्ता के माध्यम से किए गए कारबार के लिए कोई कमीशन उक्त वित्त वर्ष के पश्चातवर्ती वित्त वर्षों के लिए संदाय नहीं होगी ।

(7) पूर्वोक्त अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नवीकरण कमीशन यह विरासत कमीशन जैसा कि निगम द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन होगी ।

20. अपील.—(1) प्रत्येक अभिकर्ता को निगम के संबंधित जोनल प्रबंधक के पास उसकी नियुक्ति को समाप्त करने के आदेश और या नवीकरण कमीशन के प्रतिसंहरण या विनियम 15 या विनियम 16 या विनियम 18 या विनियम 19 के उपविनियम (2) के अधीन नया कारबार उपाप्त करने से उसे निलंबित करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा ।

(2) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा पृथकत: और अपने स्वयं के नाम से करेगा ।

(3) अपील उस प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी जिसे अपील की जानी है उसमें कोई अभद्र या अनुचित भाषा अंतर्विष्ट नहीं होगी और वह स्वयं में परिपूर्ण होगी ।

(4) अपील उस प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है ।

(5) इस विनियम के अधीन कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वह उस तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर नहीं की गई है जिसको अपीलार्थी ने उस आदेश की प्रति प्राप्त की थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है :

परंतु जोनल प्रबंधक उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् तीन मास की और अवधि के भीतर किसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय पर अपील को प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था ।

21. अपीलों को विधारित करना.—पहली अनुसूची में परिभाषित सक्षम प्राधिकारी, जिसे अपील भेजी जाती है, उसको विधारित कर सकेगा यदि -

(i) वह विनियम 20 के उपविनियम (2) या उपविनियम (3) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है ; या

(ii) यदि वह विनियम 20 के उपविनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है और इसमें विलंब के कारणों को उपदर्शित नहीं किया गया है ;या

(iii) या पहले से ही विनिश्चित किसी अपील की पुनरावृत्ति है :

परंतु किसी अपील को विधारित करने की दशा में अपीलार्थी को उसके तथ्यों और कारणों से सूचित किया जाएगा और सिवाय खंड (iii) के अधीन आने वाले मामले के अपील को अपीलार्थी को लौटा दिया जाएगा तथा यदि उसे ऐसा करने के एक मास के भीतर, यथास्थिति समुचित संशोधनों या विलंब के कारणों को उपदर्शित करते हुए पुन:प्रस्तुत किया जाता है तो इसे विधारित नहीं किया जाएगा ।

22. अपील का पारेषण.—(1) वह प्राधिकारी जिसे उस आदेश को किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है अपील की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर जोनल प्रबंधक को प्रत्येक अपील को जो विनियम 21 के अधीन विधारित नहीं की गई है के साथ उन पर अपनी टिप्पणियों और सुसंगत अभिलेखों के साथ पारेषित करेगा ।

(2) जोनल प्रबंधक विनियम 21 के अधीन विधारित किसी अपील के उसे पारेषण का निदेश दे सकेगा और तदुपरि ऐसी अपील को विधारित करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियों और सुसंगत अभिलेखों के साथ पारेषित कर दी जाएगी ।

23. अपीलों का विचारण.—(1) जब इन विनियमों के अधीन कोई अपील प्राप्त होती है तो जोनल प्रबंधक मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे :

परंतु यह कि अपीलार्थी को अपने मामले का अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(2) सभी अपीलों का निपटान यथासंभवशीघ्र किया जाएगा किंतु जोनल प्रबंधक द्वारा अपील प्राप्ति की तारीख से तीन मास से अन्यून नहीं ।

24. अभ्यावेदन.—(1) कोई अभिकर्ता जिसकी अपील इन विनियमों के अधीन विनियम 15 या विनियम 16 के अधीन किए गए किसी किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं है जिसे जोनल प्रबंधक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है वह उस मामले के संबंध में निगम के अध्यक्ष को अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अभ्यावेदन दे सकेगा और अध्यक्ष ऐसी जांच जैसा वह उचित समझे करने या कारित करने के पश्चात् उस पर आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित हो ।

(2) समान वाद हेतुक पर कोई और अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

25. अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति.—प्रबंध निदेशक इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए समय-समय पर ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

26. स्कीमों की विरचना करने की शक्ति.—प्रबंध निदेशक, निगम के पूर्व अनुमोदन से ऐसी स्कीमों की निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए विरचना कर सकेगा जो इन विनियमों से असंगत न हो, -

(क) वृत्तिका का संदाय ;

(ख) अभिकर्ताओं को ऋणों का अनुदान ।

27. शिथिल करना.—अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यकारी समिति अपने संकल्प में कारणों को लेखबद्ध करते हुए व्यष्टिक मामलों में इन विनियमों से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी ।

प्रथम अनुसूची

[विनियम 3(1)(छ), (ज) देखें]

विनियम सं.	कृत्यों की प्रकृति	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
3(ङ) और 4	अभिकर्ताओं की नियुक्ति	शाखा का भारसाधक अधिकारी
4(6)	अभिकरण वर्ष में परिवर्तन	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
8(1)(छ)	अनाथ पालिसियों का अभिकर्ताओं को आबंटन	शाखा की आबंटन समिति
10(1)	अभिकर्ताओं को कमीशन	अध्यक्ष
13(2)	अभिकर्ता द्वारा अपेक्षित कारबार को लाने में असफलता नियंत्रण से परे कारणों से होने पर अभिकरण की पुन: बहाली	कार्यपालक निदेशक द्वारा उस रूप में पदनामित निगम का पदनामित अधिकारी
14	किसी अभिकर्ता द्वारा त्यागपत्र या नियुक्ति का अभ्यर्पण	शाखा का भारसाधक अधिकारी
15(1) और 15(3)	कतिपय निरर्हताओं के लेखे अभिकरण की समाप्ति	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
16	कतिपय गलतियों पर अभिकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई और नया जीवन बीमा कारबार का आग्रह या उपाप्त न करने के लिए निदेश जारी करना	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
17	सूचना द्वारा अभिकरण की समाप्ति	जोन का भारसाधक जोनल प्रबंधक
18	नया जीवन बीमा कारबार का आग्रह न करने या उपाप्त न करने का निदेश/ दिवालियेपन के मामलों में अभिकरण की समाप्ति	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
19(1)	अभिकरण जारी न रखने पर कमीशन का संदाय	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
19(6)	नवीकरण कमीशन का सारांशीकरण	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
अनुसूची 1 विनियम 21	अपीलों का अवधारण— कृत्यों की प्रकृति – वाद हेतुक सूचना और अंतिम आदेश जारी करना	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी

दूसरी अनुसूची

[विनियम 8(3), 12(1) देखें]

आचार संहिता

(1) प्रत्येक बीमा अभिकर्ता—

(क) स्वयं की निगम के बीमा अभिकर्ता के रूप में पहचान करेगा ;

(ख) प्रास्पेक्ट को अभिकरण के पहचान पत्र को उपदर्शित करेगा और मांग करने पर प्रास्पेक्ट को अभिकरण नियुक्ति पत्र का भी प्रकटन करेगा ;

(ग) निगम द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में अपेक्षित सूचना का प्रसार करेगा और विनिर्दिष्ट बीमा योजना की सिफारिश करते समय प्रास्पेक्ट की आवश्यकताओं को गणना में लेगा ;

(घ) विक्रय के लिए प्रस्ताव किए गए बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के परिमाण का प्रकटन करेगा यदि प्रास्पेक्ट द्वारा कहा जाए ;

(ङ) निगम द्वारा विक्रय के लिए प्रस्ताव किए गए उत्पाद पर प्रभारित किए जाने वाले प्रीमियम को उपदर्शित करेगा ;

(च) प्रास्पेक्ट को निगम द्वारा प्रस्ताव प्ररूप में अपेक्षित सूचना की प्रकृति को और किसी बीमा संविदा में तात्विक सूचना के प्रकटन की महत्ता को भी स्पष्ट करेगा ;

(छ) निगम की सूचना में बीमा निम्नांकन से सुसंगत प्रास्पेक्ट के संबंध में प्रत्येक तथ्य, जिसके अंतर्गत कोई प्रतिकूल आदतें या प्रास्पेक्ट की आय में असंगता है, जो अभिकर्ता की जानकारी में है, को "बीमा अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट" नामक रिपोर्ट के प्ररूप में लाएगा और कोई तात्विक तथ्य, जो प्रस्ताव के स्वीकार करने के संबंध में निगम के निम्नांकन विनिश्चय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, को प्रास्पेक्ट के संबंध में सभी युक्तियुक्त जांच करके निगम की जानकारी में लाएगा ;

(ज) निगम को प्रस्ताव पेपरों को प्रस्तुत करने के समय सभी अपेक्षित दस्तावेजों को और निगम द्वारा प्रस्ताव को पूरा करने के लिए मांगे गए सभी पश्चातवर्ती दस्तावेजों को अभिप्राप्त करेगा ;

(झ) प्रत्येक प्रास्पेक्ट को पालिसी के अधीन नामनिर्देशन करने का परामर्श देगा ;

(ञ) प्रास्पेक्ट को तत्परता से निगम द्वारा प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार करने की सूचना देगा ;

(ट) प्रत्येक पालिसीधारक को पालिसी सर्विसिंग मामलों पर आवश्यक सहायता और परामर्श देगा, जिसके अंतर्गत पालिसी के अधीन या किसी अन्य पालिसी सेवा के अधीन पते में परिवर्तन या किसी विकल्प का उपयोग, जहां भी आवश्यक हो, है ;

(ठ) निगम द्वारा दावों के निपटान के लिए अपेक्षाओं की अनुपालना करने में पालिसीधारकों या दावाकर्ताओं या सुविधाग्राह्यियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

(2) प्रत्येक बीमा अभिकर्ता—

(क) निगम द्वारा उस रूप में नियुक्ति के बिना बीमा कारबार का आग्रह या उपापन नहीं करेगा ;

(ख) प्रस्ताव प्ररूप में किसी तात्विक सूचना का लोप करने के लिए प्रास्पेक्ट को उत्प्रेरित नहीं करेगा ;

(ग) प्रास्पेक्ट को प्रस्ताव प्ररूप में या प्रस्ताव के निगम द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा ;

(घ) बीमा पालिसियों के आग्रह और उपापन के लिए बहुस्तरीय विपणन का सहारा नहीं लेगा और/या किसी प्रास्पेक्ट या पालिसीधारक को बहुस्तरीय विपणन स्कीम में भाग लेने के लिए शामिल नहीं करेगा ;

(ङ) प्रास्पेक्ट के साथ निरादर करने की रीति में व्यवहार नहीं करेगा ;

(च) निगम के किसी अन्य बीमा अभिकर्ता द्वारा लाए गए प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं करेगा ;

(छ) निगम द्वारा प्रस्ताव की गई दरों, फायदों, निबंधनों और शर्तों से भिन्न का प्रस्ताव नहीं करेगा ;

(ज) बीमा संविदा के अधीन फायदाग्राही से आगतों में कोई भाग प्राप्त नहीं करेगा या उसकी मांग नहीं करेगा ;

(झ) किसी पालिसीधारक को विद्यमान पालिसी को समाप्त करने के लिए और ऐसी पूर्वत्तर पालिसी की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर नई पालिसी लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा ;

(ञ) नए बीमा अभिकर्ता के रूप में कृत्य करने के लिए नए अभिकरण नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि उसकी अभिकरण नियुक्ति को पूर्व में पदनामित अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था और ऐसे रद्दकरण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है ;

(ट) किसी बीमाकर्ता का निदेशक नहीं बनेगा या नहीं रहेगा ।

(3) प्रत्येक अभिकर्ता उसके द्वारा पहले से ही उपाप्त बीमा कारबार का संरक्षण करने के लिए पालिसीधारकों द्वारा उपदर्शित समय के भीतर प्रीमियम को जमा करने का पालिसीधारकों को मौखिक और लिखित सूचना देकर सुनिश्चय करेगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो आईआरडीएआई अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बीमा अभिकर्ता के रूप में कृत्य करेगा, निगम द्वारा शास्ति और अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा ।

तीसरी अनुसूची

[विनियम 10(2) देखें]

अभिकर्ताओं को संदेय बोनस कमीशन

1. इस अनुसूची में, "पहले वर्ष की पात्र कमीशन" से किसी अभिकर्ता द्वारा किसी अभिकरण वर्ष में अर्जित पहले वर्ष की कमीशन अभिप्रेत है, जिसमें उसके द्वारा प्रत्याभूत एकल प्रीमियम पालिसियों, अस्थगित वार्षिकी पालिसियों और शुद्ध आवधिक पालिसियों के लिए अर्जित कमीशन शामिल नहीं है ।

2. कोई अभिकर्ता जिसके अंतर्गत आमेलित अभिकर्ता भी है पहले वर्ष के लिए अर्जित कमीशन के लिए 40 प्रतिशत की दर से बोनस कमीशन का हकदार होगा यदि उसने पूरे किए गए कारबार में विभिन्न जीवनों पर छह प्रस्तावों से अन्यून पालिसियां प्रत्याभूति की हों और पहले वर्ष के लिए प्रीमियम आय संबंधित अभिकरण वर्ष में कम से कम पचास हजार रुपये हो ।

3. जब किसी अभिकर्ता ने अनुसूची के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसरण में पांच क्रमवर्ती वर्षों के लिए बोनस कमीशन अर्जित की हो तो वह ऐसे पांच वर्षों के तुरंत पश्चात् अभिकरण वर्ष के लिए बोनस कमीशन का हकदार होगा चाहे उसने उक्त उपबंध में उस वर्ष के लिए अधिकथित शर्तों को पूरा न किया हो ।

4. पूर्वगामी पैरा 2 और पैरा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अभिकर्ता जिसे विनियम 9 के उपविनियम (2) के अधीन छूट प्रदान की गई है बोनस कमीशन का हकदार होगा यदि ऐसी छूट के समय उसके प्रत्यय में अनुसूची 4 में यथापरिभाषित पन्द्रह अर्हक वर्ष हों ।

अनुसूची 4

[विनियम 11 देखें]

उपदान और अवधि बीमा

1. इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

(क) किसी आमेलित अभिकर्ता की दशा में "अभिकरण वर्ष" में पहले अभिकरण वर्ष से पूर्व 12 मास की प्रत्येक कालावधि शामिल है किंतु एकमात्र अभिकर्ता की दशा में इसके अंतर्गत वह अभिकरण वर्ष शामिल नहीं है, जिसके दौरान अभिकर्ता ने 12 पूर्ण मास से कम के लिए कार्य किया है ।

(ख) "पात्र दर" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -

(i) किसी अभिकर्ता की दशा में जिसने सुसंगत तारीख को सुसंगत तारीख से ठीक पूर्व 15 अभिकरण वर्ष या अधिक के लिए किसी अभिकर्ता के रुप में कार्य किया है, अर्हक वर्षों में उसके द्वारा अर्जित अर्हक वार्षिक नवीकरण कमीशन के समग्र का 180वां भाग; और

(ii) किसी अभिकर्ता की दशा में जिसने सुसंगत तारीख को 15 अभिकरण वर्ष से कम के लिए किसी अभिकर्ता के रुप में कार्य किया है, अर्हक वर्षों में उसके द्वारा अर्जित अर्हक वार्षिक नवीकरण कमीशन के समग्र को उसके द्वारा सुसंगत तारीख को अभिकर्ता के रुप में अभिकरण वर्ष की कुल संख्या को विभाजित करके आने वाली रकम का 1/12वां भाग;

(ग) "अर्हक वर्ष" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-

(i) कोई अभिकरण वर्ष जिसमें किसी अभिकर्ता ने 1 सितंबर, 1956 और इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख के बीच निगम के निमित्त कार्य करते हुए पूर्व गारंटी से अन्यून कारबार पूरा किया है, या

(ii) कोई अभिकरण वर्ष जिसमें किसी अभिकर्ता ने नियत तारीख के पश्चात् कार्य करते हुए या कार्य जारी रखते हुए कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट और विनियम 9 के उपबंधों के अधीन समय समय पर निगम के बोर्ड द्वारा अनुसमर्थित अपेक्षित कारबार पूरा किया है, किंतु किसी आमेलित अभिकर्ता के संबंध में पहला अभिकरण वर्ष तब तक अर्हक वर्ष नहीं होगा जब तक उसने उपांतरित पूर्व गारंटी से अन्यून कारबार पूरा न कर लिया था;

(घ) "अर्हक वार्षिक नवीकरण कमीशन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -

(i) 1 अप्रैल, 1968 को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले अभिकरण वर्षों के संबंध में, ऐसे अभिकरण वर्षों में शामिल अर्हक वर्ष में किसी अभिकर्ता द्वारा अर्जित नवीकरण कमीशन, और

(ii) 31 मार्च, 1968 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले अभिकरण वर्षों के संबंध में 1 अप्रैल, 1971 से तुरंत पूर्व 3 अभिकरण वर्षों में अर्जित नवीकरण कमीशन के समग्र का एक तिहाई ।

(ङ) "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको पैरा 2 के अधीन उपदान के संदाय के लिए पात्रता का अवधारण किया जाता है ।

2. (1) कोई अभिकर्ता उपदान के लिए पात्र होगा, -

(i) उसने सतत् रुप से कार्य किया हो और 15 या अधिक अर्हक वर्षों के लिए, और

(क) वह 60 वर्ष से कम आयु का नहीं है; या

(ख) उसका अभिकरण समाप्त हो जाता है या इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी संभावित कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से समाप्त हो जाता है ; या

(ii) यदि उसकी नियुक्ति में उसकी पुष्टि की गई है, और

(क) उसकी मृत्यु हो जाती है जबकि उसका अभिकरण विद्यमान है, या

(ख) विनियम 16 के उपविनियम (1) के खंड (ड) के अधीन अभिकर्ता के रुप में उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है ।

स्पष्टीकरण – इस उपपैरा में, "संभावित कारण" से निम्नलिखित में वर्णित कारणों में से कोई कारण अभिप्रेत है ;

(i) विनियम 15 का खंड (ग) या खंड (घ)

(ii) विनियम 16 के उपविनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ज) या खंड (ट), या

(iii) विनियम 17 के उपविनियम (1) के खंड (ठ) यदि यह साबत कर दिया जाता है कि अभिकर्ता ने निगम को धोखा देने की दृष्टि से कार्य किया था ।

(2) कोई अभिकर्ता उसके उनसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व पदनामित अधिकारी को लिखित सूचना देकर अनुरोध कर सकेगा कि उपदान के लिए उसकी पात्रता का अवधारण पेंसठ वर्ष की आयु पूरा करने पर किया जाए; और उस दशा में उपपैरा (1) के खंड (2) का उपखंड (1) का ऐसे प्रभाव होगा मानो "साठ" शब्द के स्थान पर "पैंसठ" शब्द रखे गए हों और सुसंगत तारीख की गणना तदनुसार की जाएगी ।

(3) किसी अभिकर्ता को अनुज्ञेय उपदान पहले पंद्रह अर्हक वर्ष के लिए प्रत्येक अर्हक वर्ष की पात्र दर पर होगा और पश्चातवर्ती दस अर्हक वर्ष के लिए पात्र दर से आधे पर होगा, परंतु उपदान की अधिकतम संदेय रकम 3,00,000/-रुपये से अनधिक होगी ।

(4) किसी धारणाधिकार के अधीन रहते हुए निगम किसी अभिकर्ता को अनुज्ञेय उपदान की रकम पर किसी अभिकर्ता या उसके नामनिर्देशिती या उसकी विद्यमानता के दौरान कोई नामनिर्देशन न किए जाने की दशा में उसके उत्तराधिकारियों को इस खंड के अधीन अनुज्ञेय उपदान की रकम का संदाय कर सकेगा ।

(5) पूर्वगामी उपपैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभिकर्ता को जो निगम का कर्मचारी भी है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान वह ऐसा कर्मचारी बना रहता है, कोई उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा, और उसके ऐसे अवधि के लिए अभिकरण के कार्य को यहां तक कि उसके एक कर्मचारी के रुप में सेवा की समाप्ति पर, इस खंड के अधीन किसी प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।

(6) जहां किसी अभिकर्ता ने इस पैरा के अधीन कोई उपदान प्राप्त किया है तो उसे किसी अवधि के दौरान जिसके लिए उसके पश्चात् उसने अभिकर्ता के रुप में कार्य किया है कोई और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

3. (1) किसी अभिकर्ता की मृत्यु होने की दशा में जब उसका अभिकरण विद्यमान है, निगम इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किसी रकम का संदाय करेगा यदि ऐसे अभिकर्ता के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं -

(क) एक अभिकर्ता के रुप में उसकी नियुक्ति की तारीख पर उसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी ।

स्पष्टीकरण : किसी आमेलित अभिकर्ता की नियुक्ति की तारीख का अवधारण करने के लिए बीमा अभिकर्ता के रुप में प्रकाशित दिन से पूर्व उसकी नियुक्ति पर वास्तविक तारीख को गणना में लिया जाएगा ;

(ख) उसके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरा करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है ;

(ग) उसके अपने जीवन पर पांच हजार रुपये से अन्यून राशि का बीमा करने की कोई बीमा पालिसी है (अस्थायी बीमा पालिसी से भिन्न) जो उसकी मृत्यु के समय प्रभावी थी :

परंतु किसी आमेलित अभिकर्ता की दशा में इस शर्त को पूरा हुआ मान लिया जाएगा यदि उसने कोई पालिसी धारण की थी जो संदाय के लिए उसके 50 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् परिपक्व हुई ; और

(घ) जो एक आमेलित अभिकर्ता नहीं है जिसकी एक अभिकर्ता के रुप में पुष्टि की गई है और उसके प्रत्यय में उसकी मृत्यु की तारीख को तीन या अधिक अर्हक वर्ष हैं; या वह एक आमेलित अभिकर्ता है और उसके प्रत्यय में तीन अर्हक वर्ष हैं और उसने ;

(i) उसकी मृत्यु की तारीख को पांच अभिकरण वर्ष पूरे कर लिए हैं;या

(ii) ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है जो विनियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) उपखंड (1) के अधीन संदेय रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात अवधि बीमा की रकम कहा गया है) उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व तीन अभिकरण वर्षों में अभिकर्ता द्वारा अर्जित वार्षिक नवीकरण कमीशन के औसत पर आधारित होगी और निम्नलिखित स्केल के अनुसार होगी:

औसत कमीशन	अवधि बीमा की रकम
(क) यदि औसत कमीशन 1001/-रु. से कम थी ।	3000/- रु.
(ख) यदि औसत कमीशन 1001/-रु. या उससे अधिक थी किंतु 15,000/-रु. से कम थी ।	3000/- रु. धन 1000/- रु. से अधिक औसत कमीशन का आधा ।
(ग) यदि औसत कमीशन 15,000/-रु. या अधिक थी ।	10000/- रु.

(3) किसी अभिकर्ता की दशा में अनुज्ञेय अवधि बीमा की रकम पर निगम के किसी धारणाधिकार के अधीन रहते हुए वह उसके नामनिर्देशिती या या नामनिर्देशितियों या यदि उसकी विद्यमान्यता के दौरान कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो उसके उत्तराधिकारियों को इस पैरा के अधीन अनुज्ञेय अवधि बीमा की रकम का संदाय करेगा ।

(4) पूर्वगामी उपपैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अवधि बीमा की रकम किसी अभिकर्ता की बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी जो निगम का कर्मचारी था, यदि उसकी मृत्यु उस अवधि के दौरान होती है जिसके दौरान वह ऐसा कर्मचारी रहा है और ऐसी अवधि के दौरान अभिकर्ता के रुप में उसके कार्य को किसी प्रयोजन के लिए यहां तक कि एक कर्मचारी के रुप में उसकी सेवा की समाप्ति के पश्चात् भी गणना में नहीं लिया जाएगा ।

पांचवीं अनुसूची

[विनियम 15(2) और (3), 16(1) और (2) देखें]

अनुशासनिक कार्रवाई

1. अभिकर्ता की नियुक्ति से पूर्व या तत्पश्चात् जांच करने की रीति--

(1) किसी अभिकर्ता की नियुक्ति तब तक लंबित नहीं की जाएगी जब तक इस अनुसूची में अधिकथित रीति के अनुसार जांच संचालित न कर ली गई हो ।

(2) कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी को विनियम 16 के अधीन उपदर्शित अनियमितताओं के लिए निलंबन आदेश जारी करने से पन्द्रह दिन के भीतर, जहां भी जारी किया जाए, जांच या अन्वेषण संचालित करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

(3) जांच अधिकारी संबंधित अभिकर्ता को जांच संचालित करने के लिए आवश्यक समझी गई प्रत्येक सूचना/डाटा प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा और अभिकर्ता को निलंबन आदेश या पत्र की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन का समय ऐसी मांगी गई सूचना या डाटा प्रस्तुत करने के लिए अनुदत्त करेगा ।

(4) अभिकर्ता ऐसी सूचना की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर जांच अधिकारी को उसके द्वारा अवलंब लिए गए या जांच अधिकारी द्वारा ईप्सित दस्तावेजों या अन्य साक्षियों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

(5) जांच अधिकारी अभिकर्ता को उसके प्रत्युत्तर के समर्थन में दलील देने के लिए समर्थ बनाने हेतु सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(6) अभिकर्ता या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा उसके मामले को प्रस्तुत करने के लिए सम्यकत: प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा किंतु तथापि, प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई हो ।

(7) जांच अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को उसके किसी एक अधिकारी के माध्यम से मामले को प्रस्तुत करने का परामर्श देगा ।

(8) यदि आवश्यक समझा जाए तो जांच अधिकारी जांच के प्रक्रम के दौरान किसी अन्य संबंधित पक्षकार से फीडबैक या सूचना मंगा सकेगा ।

(9) यदि आवश्यक समझा जाए तो जांच अधिकारी अभिकर्ता से अतिरिक्त पेपरों की मांग कर सकेगा ।

(10) जांच अधिकारी जांच आरंभ करने के पैंतालीस दिन के भीतर जांच या अन्वेषण को पूरा करने के सभी प्रयास करेगा ।

(11) यदि जांच को पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो जांच अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से कारणों को उपदर्शित करते हुए अतिरिक्त समय की मांग कर सकेगा ।

(12) जांच अधिकारी सभी सुसंगत तथ्यों और अभिकर्ता द्वारा दी गई दलीलों को गणना में लेने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(13) सक्षम प्राधिकारी अभिकर्ता को उसके अभिकरण की समाप्ति का प्रस्ताव करते हुए हेतुक उपदर्शित करने की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए अभिकर्ता को वाद हेतुक जारी करेगा और ऐसे विनिश्चय के साथ, जो वह आवश्यक समझे, लिखित में अंतिम आदेश पारित करेगा तथा उसकी संबंधित अभिकर्ता को संसूचना देगा ।

(14) अभिकर्ता के अभिकरण को समाप्त करने के अंतिम आदेश को जारी करने पर वह अंतिम आदेश की तारीख से अभिकर्ता के रूप में कृत्य नहीं करेगा ।

2. निलंबन या समाप्ति के आदेश का प्रकाशन.—(1) विनियम 15 या विनियम 16 के अधीन बीमा अभिकर्ता की नियुक्ति के निलंबन या समापन का आदेश निगम की वेबसाइट पर उपदर्शित किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा रखी गई अभिकर्ताओं की केंद्रीय सूची में अद्यतन किया जाएगा, जिससे निगम द्वारा निलंबित या समाप्त किए गए अभिकर्ता द्वारा नए कारबार के रजिस्ट्रीकरण को तुरंत रोका जा सके ।

(2) अभिकरण के निलंबन या समापन की तारीख से ही अभिकर्ता का निगम के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना समाप्त हो जाएगा ।

3. अभिकरण नियुक्ति के निलंबन या समापन का प्रभाव.—(1) अभिकरण के निलंबन या समापन की तारीख से ही अभिकर्ता का अभिकर्ता के रूप में कार्य करना समाप्त हो जाएगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी अभिकर्ता से, जिसकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है, नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र को नियुक्ति की समाप्ति को प्रभावी करने वाले अंतिम आदेश के जारी करने के सात दिन के भीतर वापस ले लेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी अभिकर्ता को काली सूची में डाल देगा और उस अभिकर्ता के ब्यौरों को, जिसकी नियुक्ति को निलंबित या रद्द कर दिया गया है, प्राधिकरण द्वारा रखे गए काली सूची के अभिकर्ताओं के डाटा बेस में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आनलाइन रीति में रखे गए अभिकर्ताओं की केंद्रीयकृत सूची में निलंबित या समाप्त करने के आदेश को जारी करने के पश्चात् दर्ज कर देगा ।

(4) किसी अभिकर्ता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की समाप्ति पर साकारण आदेश के जारी करने पर किसी अभिकर्ता के निलंबन को प्रतिसंहृत करने पर ऐसे अभिकर्ता के ब्यौरों को काली सूची में डाले गए अभिकर्ताओं की सूची से उसके निलंबन को प्रतिसंहृत करने के आदेश को जारी करने के यथाशीघ्र पश्चात् हटा दिया जाएगा ।

(5) सक्षम प्राधिकारी अन्य बीमाकर्ताओं को, जिनके साथ वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, अभिकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई से उनके अभिलेख और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर सकेगा ।

[फा. सं. I-13011/02/2015/Ins-I]

ऊषा सांगवान, प्रबंध निदेशक